प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand   Office of the District Collector-- Chamoli

No---

Dated- 28/8/2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.416..... hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ... Reliance Jio Infocomm Ltd .... (name of user agency) for.. OFC Laying .... (purpose for diversion of forest land) in. Chamoli..... district falls within jurisdiction of Nandprayag-Kandaipul-Lunthra-Kurud-Ghat-Bhenti & Narayanbagar-Parkhal-Rance Chopta ....village (s) in. Chamoli / Tharali ...... tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....to annexure.............

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

District Social Welfare Officer
Chamoli

जिला अधिकारी
चमोली

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ---Chamoli------------ (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli..... district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Swati S. Bhaduria.....I.A.S deputy commissioner,. Chamoli... on dated 29:08:2019 at time 15:00 Hrs at .... in which application claiming rights in Nandprayag-Lunthra-Bhenti & Narayanbagar-Parkhal-Rance Chopta...area measuring...0.416...... hect for the construction of .... forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Chamoli / Tharali...... sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

जिला अधिकारी
चमोली

Place;...............
Dated:..............

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

District Social Welfare Officer
Chamoli

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

(District Social Walfare Officer)

(DFO- ....)

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :–

जनपद ......चमोली...... के वन प्रभाग ......बद्रीनाथ...... में चमोली/नन्दप्रयाग/......रेंज के अन्तर्गत एन0एच0/एस0एच0/डी0एम0आर0 ......नन्दप्रयाग–काण्डई पुल–लुनथरा–कुरुड़–घाट–मैठी (49.5 कि0मी0) / नारायणबगड़–परखाल–रैन्स (जोपता) (23.3 कि0मी0)...... जिसकी कुल लम्बाई ...72.8... कि0मी0 एवं ...0.416... हे0, में मोटरमार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्रथम तल, रिलायंस मार्केट जी0एम0एस0 रोड, निरंजनपुर, देहरादून को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ——————
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ——————

उपखण्ड ——— परिक्षेत्र के अन्तर्गत —————————— ————— (—×—हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.33 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.206 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.239 हे0 वन भूमि) का —रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0—प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ——————) की दिनांक —————— को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ——————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– सुश्री बुशरा अंसारी ——उपजिलाधिकारी (चमोली)——————अध्यक्ष

2– श्री ——————————उप प्रभागीय वनाधिकारी——————————सदस्य

3– श्री सुनील नेगी ——————सहायक समाज कल्याण अधिकारी——————सदस्य/सचिव

4– श्री मदनसिंह बिष्ट ——बी0डी0सी0 क्षेत्र ——————————सदस्य

(मुहर: क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड, विकासखण्ड (चमोली))

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि —नन्दप्रयाग–काण्डई पुल–लुनथरा–कुरुड़–घाट–मैठी में ओ0एफ0सी0 लि0 केबिल बिछाने की——————परियोजना हेतु ...0.239... हे0 वन भूमि ——रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0—————— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ——————————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ———— परिक्षेत्र के अन्तर्गत —नन्दप्रयाग–काण्डई पुल–लुनथरा–कुरुड़–घाट–मैठी OFC परियोजना के निर्माण हेतु ...0.239... हे0 वन भूमि ...रिलायन्स जियो... प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– ...चमोली...
जनपद ...चमोली गढ़वाल...

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ...चमोली... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील– ...चमोली...
जनपद ...चमोली गढ़वाल...

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :–

जनपद चमोली के वन प्रभाग बद्रीनाथ में चमोली/नन्दप्रयाग/पश्चिमी पिण्डर रेंज के अर्न्तगत एन0एच0/एस0एच0/डी0एम0आर0 नन्दप्रयाग - काण्डपुल - लुनधरा - कुरूड़ - घाट - भैंता (49.5 कि.मी.) / नारायण - परखाल - रैन्स (चोपता) (23.3 कि.मी.) जिसकी कुल लम्बाई 72.8 कि0मी0 एवं 0.416 हे0, में मोटरमार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्रथम तल, रिलायंस मार्केट जी0एम0एस0 रोड, निरंजनपुर, देहरादून को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थराली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, थराली

उपखण्ड थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत नारायणबगड़ - परखाल - रैन्स (चोपता) (—×—हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.07 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.107 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.177 हे0 वन भूमि) का रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ————) की दिनांक 9.5.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री [signature] —उपजिलाधिकारी —— अध्यक्ष
2– श्री अमरेश कुमार —उप प्रभागीय वनाधिकारी— —सदस्य
3– श्री धनन्जय तिंगवाल —सहायक समाज कल्याण अधिकारी— नारायणबगड़ —सदस्य / सचिव
4– श्री राजेन्द्र सिंह नेगी —बी0डी0सी0 क्षेत्र — ग्रा0 हरैंस (ज्येष्ठ उपप्रमुख) —सदस्य

उपजिलाधिकारी थराली

सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकासखण्ड
जिला :- चमोली
दिनांक :

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि नारायणबगड़-परखाल-रैन्स (चोपता) में ऑ० फा० ऑ० केबिल बिछाने के परियोजना हेतु 0.177 हे0 वन भूमि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ ———द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ———— परिक्षेत्र के अन्तर्गत नारायणबगड़-परखाल-रैन्स (चोपता) में ऑ०फा०ऑ० केबिल बिछाने परियोजना के निर्माण हेतु 0.177 हे0 वन भूमि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–
जनपद–

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–
जनपद–

उपजिलाधिकारी थराली